वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सं.: 5-1(318)/2016-पीडी दिनांक : 24.10.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियम, 2001 में संशोधन – उसके अनुसमर्थन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जीबी, सीएसआईआर ने दिनांक 22.08.2025 को आयोजित अपनी 209वीं बैठक में सीएसआईआर के दिनांक 01.08.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5-1(318)/2016-पीडी द्वारा अधिसूचित सीएसआरएपी नियम, 2001 में संशोधन का अनुसमर्थन किया है ।

2. इसे सभी संबंधित के संज्ञान में लाया जाए।

24/10/25

(अमरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न : उपरोक्तनुसार

सेवा में,

1. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों / मुख्यालयों /इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
2. अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड, सीएसआईआर

प्रतिलिपि:

1. कार्यालय महानिदेशक, सीएसआईआर
2. कार्यालय संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर
3. कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर
4. कार्यालय मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
5. प्रमुख, आरएबी, सीएसआईआर
6. सीएसआईआर की समस्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/ मुख्यालय/ इकाइयों के सभी वरिष्ठ उप सचिव/ वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक / उप सचिव / प्रशासन नियंत्रक /अवर सचिव / प्रशासनिक अधिकारी सीएसआईआर वेबसाइट
7. कार्यालय प्रति

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसन्धान भवन , 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001

सं०: 5-1(318)/2016-पीडी   दिनांक 01.08.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियमावली, 2001 में संशोधन के संबंध में।

सीएसआईआर के भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी ने सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति (सीएसआरएपी) नियमावली, 2001 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीएसआरएपी नियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है:

मौजूदा नियम	संशोधित नियम
नियम 7.6.6 समिति द्वारा संस्तुत 'पदोन्नति के लिए योग्य' वैज्ञानिकों को मूल्यांकन के लिए पात्रता की नियत तारीख से पदोन्नत किया जाएगा। 'पदोन्नति के लिए अयोग्य' पाए गए मामले पर एक वर्ष के बाद विचार किया जाएगा, बशर्ते आंतरिक छानबीन समिति ने उनके नाम की पुन: सिफारिश की हो । पदोन्नति पर वेतन निर्धारण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य वेतन निर्धारण नियमों के अनुसार किया जाएगा।	**नियम 7.6.6** समिति द्वारा संस्तुत 'पदोन्नति के लिए योग्य' वैज्ञानिकों को मूल्यांकन के लिए पात्रता की नियत तारीख से पदोन्नत किया जाएगा। 'पदोन्नति के लिए अयोग्य' पाए गए मामले पर एक वर्ष के बाद विचार किया जाएगा, बशर्ते आंतरिक छानबीन समिति ने उनके नाम की पुन: सिफारिश की हो । <u>सीएसआरएपी नियमावली, 2001 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उन वैज्ञानिकों के मामले में जिनके मूल्यांकन की नियत तिथि 01.04.2025 और 31.12.2025 के बीच है और मूल्यांकन समिति द्वारा "पदोन्नति के लिए योग्य" पाए जाते हैं, उन्हें नियत तिथि से काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाएगा, तथापि, उनके मामले में वास्तविक मौद्रिक लाभ उस तिथि से अर्जित होगा जिस तिथि को वैज्ञानिक पदोन्नत ग्रेड/पद का कार्यभार ग्रहण करता है।</u> पदोन्नति पर वेतन निर्धारण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य वेतन निर्धारण नियमों के अनुसार होगा।

2. इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुमोदन भी प्रदान किया है:

" सीएसआरएपी नियमावली, 2001 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उन वैज्ञानिकों के मामले में जिनकी मूल्यांकन पदोन्नति के लिए नियत तारीख सीएसआरएपी नियमावली, 2001 के तहत

राहुल
1/8/25

01.10.2025 और 31.12.2025 के बीच है, न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2024-25 तक के पीएमएस पर विचार किया जाना है।"

3. उपरोक्त संशोधनों को शासी निकाय, सी.एस.आई.आर. की आगामी बैठक में सत्यापित कराने हेतु रखा जाएगा।

4. इसे सभी संबंधित के संज्ञान में लाया जाए।

राहुल 1/8/25

(कुमार राहुल)
उप सचिव (पीडी)

सेवा में,

1. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों / मुख्यालयों /इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
2. अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड, सीएसआईआर

प्रतिलिपि:

1. कार्यालय महानिदेशक, सीएसआईआर
2. कार्यालय संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर
3. कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर
4. कार्यालय मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय, सीएसआईआर
5. प्रमुख, आरएबी, सीएसआईआर
6. सीएसआईआर की समस्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/ मुख्यालय/ इकाइयों के सभी वरिष्ठ उप सचिव/ वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक / उप सचिव / प्रशासन नियंत्रक /अवर सचिव / प्रशासनिक अधिकारी ।
7. सीएसआईआर वेबसाइट ।
8. कार्यालय प्रति